भारत सरकार

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2762

बुधवार, दिनांक 17 दिसम्बर, 2025 को उत्तर दिए जाने हेतु

<u>नवीकरणीय परियोजनाओं के लिए पीपीए पर हस्ताक्षर करने में चुनौतियाँ</u>

2762. श्री श्रीरंग आप्पा चंदू बारणे:
श्रीमती भारती पारधी:
श्री रविन्द्र दत्ताराम वायकर:
श्री विशालदादा प्रकाशबापू पाटील:
श्री नरेश गणपत म्हस्के:

डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे: क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नवीकरणीय परियोजनाओं के लिए विद्युत क्रय समझौते (पीपीए) पर हस्ताक्षर करने में आने वाली चुनौतियों का ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इन चुनौतियों के समाधान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) नवीकरणीय ऊर्जा विकासकर्ताओं, राष्ट्रीय जलविद्युत निगम (एनएचपीसी), राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसी) तथा भारतीय सौर ऊर्जा निगम (एसईसीआई) जैसी एजेंसियों के बीच प्रत्यक्ष विद्युत क्रय समझौतों से क्षमता वृद्धि में किस प्रकार तेजी आएगी;

(ग) वर्ष 2030 तक देश की गैर-जीवाश्म ईंधन संस्थापित विद्युत क्षमता के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है और इस विद्युत क्रय समझौता रणनीति से इसमें किस प्रकार मदद मिलेगी;

(घ) इस क्रय ढांचे के कार्यान्वयन में शामिल सरकारी और निजी हितधारकों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस दृष्टिकोण से ग्रिड विश्वसनीयता कैसे सुनिश्चित होती है और स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों को किस प्रकार प्रोत्साहन मिलता है?

उत्तर

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद येसो नाईक)

(क) सोलर-प्लस-स्टोरेज और डिस्पैचेबल नवीकरणीय विद्युत की लागत में हो रही कमी के कारण, वितरण कंपनियों और अंतिम उपभोक्ताओं में ऐसे समाधानों के लिए पसंद बढ़ रही है। इस बदलाव के साथ-साथ साधारण सौर विद्युत की मांग में भी कमी आई है। पवन-सौर हाइब्रिड परियोजना की तुलना में सोलर-प्लस-स्टोरेज कॉन्फ़िगरेशन को खासकर पीक मांग घंटों के दौरान विद्युत आपूर्ति करने की उनकी क्षमता के कारण अधिक पसंद किया जा रहा है। अतः, सरकार ने नवीकरणीय ऊर्जा कार्यान्वयन एजेंसियों (REIAs), अर्थात् सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (SECI), एनटीपीसी लिमिटेड, एनएचपीसी लिमिटेड और SJVN लिमिटेड को सामान्य सौर निविदाओं से हटकर ऊर्जा भंडारण सहित सौर निविदाओं, पीक घंटों के दौरान नवीकरणीय ऊर्जा आपूर्ति करने की विशेषताओं वाली निविदाओं, और सतत एवं प्रेषण-योग्य नवीकरणीय ऊर्जा (FDRE) आपूर्ति करने की विशेषताओं वाली निविदाओं के बारे में जागरूक किया है।

इनमें राज्यों से ऊर्जा संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत नवीकरणीय उपभोग बाध्यता (RCO) का अनुपालन करने का आग्रह करना और निविदाएं तैयार करने और जारी करने से पहले विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) और अन्य उपभोक्ताओं से कुल मांग एकत्रित करने की सलाह देना शामिल है। कार्यान्वयन से संबंधित चुनौतियों का समाधान करने और PPA हस्ताक्षर में तेजी लाने के लिए प्रमुख नवीकरणीय ऊर्जा खरीद करने वाले राज्यों के साथ क्षेत्रीय कार्यशालाएं आयोजित की गईं।

(ख) से (ङ): सामान्यतः नवीकरणीय ऊर्जा कार्यान्वयन एजेंसियां (आरईआईए), अर्थात् सोलर एनर्जी कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेकी), एनटीपीसी लिमिटेड, एनएचपीसी लिमिटेड और एसजेवीएन लिमिटेड नवीकरणीय विद्युत की दीर्घकालिक खरीद के लिए मध्यस्थ खरीदकर्ता के रूप में निविदाएं जारी करती हैं। नवीकरणीय विद्युत डेवलपर्स, जो निजी या सार्वजनिक क्षेत्र से हो सकते हैं, इन निविदाओं में भाग लेते हैं, जिनमें सफल बोलीदाताओं का निर्णय पारदर्शी प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है। आरईआईए द्वारा विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) जैसे अंतिम उपभोक्ताओं के साथ विद्युत बिक्री करारों (पीएसए) पर हस्ताक्षर किए जाते हैं और नवीकरणीय विद्युत डेवलपर्स के साथ बैक-टू-बैक विद्युत खरीद करारों (पीपीए) पर हस्ताक्षर किए जाते हैं जो आरईआईए द्वारा जारी उपरोक्त निविदाओं के तहत सफल बोलीदाता होते हैं। सामान्यतः, आरईआईए नवीकरणीय विद्युत डेवलपर्स के साथ पीपीए में शामिल नहीं होते। अंतिम खरीदारों के साथ विद्युत बिक्री करार के कार्यान्वित होने तक आम तौर पर, आरईआईए और नवीकरणीय विद्युत डेवलपर के बीच पीपीए पर हस्ताक्षर करने के बाद, नवीकरणीय ऊर्जा डेवलपर संबंधित केंद्र/राज्य सरकार और केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए), सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीटीयूआईएल), ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड (ग्रिड-इंडिया), केंद्रीय/राज्य विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी/एसईआरसी), क्षेत्रीय/राज्य भार प्रेषण केंद्र (आरएलडीसी/एसएलडीसी), आदि जैसी सरकारी एजेंसियों के संबंधित नियमों और विनियमों के अनुपालन में निर्माण, स्वामित्व और संचालन (बीओओ) के आधार पर नवीकरणीय विद्युत परियोजना को स्थापित और चालू करता है, इससे स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना और उसकी स्थापना के साथ-साथ ग्रिड विश्वसनीयता भी सुनिश्चित होती है।

मध्यस्थ खरीददारों के रूप में आरईआईए द्वारा दीर्घकालिक नवीकरणीय विद्युत खरीद के माध्यम से नवीकरणीय विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के उपरोक्त तंत्र ने स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता में नवीकरणीय विद्युत की हिस्सेदारी बढ़ाकर स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने में बहुत सहायता की है और इसके परिणामस्वरूप भारत ने पेरिस करार में अपने राष्ट्रीय निर्धारित योगदान (NDC) के तहत निर्धारित लक्ष्य से पांच वर्ष पहले ही अपनी स्थापित विद्युत क्षमता का 50% गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से हासिल कर लिया है। दिनांक 31 अक्टूबर, 2025 की स्थिति के अनुसार, गैर-जीवाश्म स्रोतों से प्राप्त स्थापित क्षमता लगभग 259 गीगावॉट है, जिसमें चालू वित्त वर्ष में अक्टूबर 2025 तक 31.2 गीगावॉट जोड़ा गया है।
